दो रुपये TWO RUPEES दो रुपये TWO RUPEES दो रुपये TWO RUPEES

COURT FEE भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्र0क्र0 ।2010 पुनरीक्षण निग.436/III/10

राधाकृष्ण पुत्र भूपनारायण
निवासी ग्राम जोबगढ तहसील देवसर
जिला सिंगरौली ------ आवेदक

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन ----- अनावेदक

श्री ...... द्वारा आज दि० 12-4-10 को प्रस्तुत
... सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

अपर कलेक्टर जिला सिंगरौली व्दारा प्र0क्र0 29।2009-10 पुनरीक्षण में पारित आदेश दिनांक 8-1-2010 के विरुद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा-50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदक निम्नलिखित आधारों पर पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है :-

(1) यह कि अपर कलेक्टर महोदय का विवादित आदेश अवैध, अनियमित तथा अभिलेख के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) यह कि विवादित आदेश पारित करने के पूर्व आवेदक को सूचना एवं सुनवायी का अवसर प्रदान नहीं किया गया । कारण बताओ सूचना-पत्र दिये बिना स्वयमेव पुनरीक्षण में पारित आदेश क्षेत्राधिकार रहित होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

(3) यह कि अपर कलेक्टर महोदय ने अपने आदेश में जो निष्कर्ष निकाले हैं वे आधारहीन तथा बिना कारण दर्शाये निकाले गये हैं । आवेदक को भूमि पाने की पात्रता क्यों नहीं थी इसका

--- 2

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–436–तीन/2010 जिला–सिंगरौली

राधाकृष्ण विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
28–02–2019	आवेदक की ओर से श्री मुकेश बेलापुरकर अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर सिंगरौली, जिला–सिंगरौली के प्र.क्र. 29/2009–10/पुनरीक्षण में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 08–01–2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग, रीवा, के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 25–4–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (एम.के. जैन) 28/2/2019 सदस्य	